

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ३। जनवरी, 2018

विषय: शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-३७ में प्राविधानित धनराशि से जनपद-सम्भल की ०९ परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-५३५६/७६/एक/एवीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक २२ फरवरी, २०१७ व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्भल के पत्र संख्या-५१६/इडा/इन्टरलाकिंग/2017-18, दिनांक १६.०६.२०१७ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से जनपद-सम्भल की न०प०, सिरसी, गुन्नौर, नरौली व बबराला एवं न०पा०प०, सम्भल, बहजोई व चन्दौसी की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल ०९ परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-५९९/२०१६/२१३१/६९-१-१६-५५(अ०सं०-३७)/२०१६, दिनांक २६ सितम्बर, २०१६ द्वारा रु० २९२.८७ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् रु० १४६.४३५ लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में अनुदान संख्या-३७ में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु० १४६.४३५ लाख (रुपये एक करोड़ छियालिस लाख तीनालिस हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-३२/६९-१-१३-१४(३१)२०१२टीसी, दिनांक १६ जनवरी, २०१३ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
२. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री नौजनी मानसिंह आदि।

क्रमांक:.....2

फै/३०८
१/१/१८

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उनका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन विन्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 16. सेन्टेज घार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011* में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
 17. स्थीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
 2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
 3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक: यथोक्त

भवदीय
21/11/19
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-43 /2018/941(1)/69-1-2017 तद्दिनाक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्भल।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गाई फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अधिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	सम्भल	न०पं० सम्भल	वार्ड सं० १९ मो० शहवाजपुरा दीपासराय में मिन्जार के मकान से हाजी अहरार के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.80	13.40
2.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० १३ मो० मंगलपुरा में नूर हसन से दानिश के मकान तक एवं अ० रहीम के प्लाट से इनाम बक्श के मकान तक, इरफान के प्लाट से इन्तलाम के मकान तक एवं याकूब के मकान से इरफान के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.92	7.46
3.	सम्भल	न०पं० सिरसी	वार्ड सं० १३ मो० यालमीकि गिल्हारी में मेन रोड मस्जिद से बीबी ऊनब के मजार तक, बिलारी रोड से करबला तक एवं मुनव्वर हुसैन के मकान से सालिम भाई की दुकान (मदरसा) तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	139.92	69.96
4.	सम्भल	न०पा०परि०बहजोई	वार्ड सं० १४ मो० कुरेशियान नई बस्ती में बाबू के मकान से कमरूल के मकान तक, सलीन के मकान से बद्दू के मकान तक, फाजिल के मकान से सदून शेख के मकान तक, अब्दुल करीम के मकान से इसरार हेड घाले के मकान तक एवं मुनव्वर के मकान से कल्लन के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	53.91	26.955
5.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० १७ मो० फकीरान में शकील अहमद के मकान से कल्लू के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.73	2.865
6.	सम्भल	न०पा०परि० चन्दौसी	वार्ड सं० २३ मो० लक्ष्मणगंज में लासिर के मकान से मेन रोड तक एवं नासिर के मकान से हाशिम के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.68	8.34
7.	सम्भल	न०पं० गुन्नौर	वार्ड सं० ०४ मो० सराय राम मन्दिर में नवीन प्राइमरी स्कूल वाली गली व छोटे के मकान से अल्ला रक्खे के मकान तक एवं वशीर के मकान से फुरकान के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.04	4.52
8.	सम्भल	न०पं० नरौली	वार्ड सं० ०२मो० काजीटोला नगर (तेलीवाला कुओं) में चौंद खो के मकान से मुख्तयार के मकान तक एवं हनीफ खो के मकान से लझक के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.52	7.26

9.	सम्मेलन बबराला	न०४० वर्षाला	वार्ड सं० ०४ मो० साहूकारा में कौशर के मकान से हसनैन व अली मोहम्मद के मकान तक, शौकत अली के मकान से हजी रियासत अली के मकान तक एवं जफरुद्दीन याली गली व झरफाल ठेकेदार के मकान से शौकीन के मकान तक इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली लिमाण कार्य।	11.35	5.675
योग (रूपये एक करोड छियालिस लाख तैंतालिस हजार पाँच सौ मात्र)				292.87	146.435


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।